

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनकी
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अवेदन क्रमांक 724 दिनांक 01/10/2020

प्राथमिक जमीनी अभिलेख वा/0 श्री मोहम्मद इनीस

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No: 182 सेक्टर ए

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश जगन्ना केशन नगर द्वितीय

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9750/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/8032, 8033

दिनांक 01/10/2020 को जमा करा दी है ।

19/10/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

20/10
C.M. 0. 20/10/20

जी + 1

आवासीय